(2018/00121)

न्यायालय उपखण्ड ..... कठूमर जिला अलवर

..... 14.5.18 ..... तारीख रजू .....

बनाम

घनश्यामलाल — रामअवतार वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/5/18	वकील वादी उपस्थित। मय दावा वादी के वकील के पेश किया। दर्ज पंजिका हो। प्रतिवादीगण को सम्मन तलबी पत्रावली दिनांक 22-6-18 को पेश हो। SDO	15-77 / 16-5-18
22/6/18	पत्रावली की पत्र कोर्ट में पेश हुई। वकील उपस्थित। प्रति० 1,2,3 की ओर से भी नोटिस मय वकालतनामा पेश किया। वास्ते शोध की तलबी पत्रावली दिनांक 26-6-18 को पेश हो। P.F. पेश हो। SDO	
26.6.18	पत्रावली ... पत्र कोर्ट में पेश हुई पक्षकारान ..... सहयोग ..... नहीं होने के कारण प्रकरण ... ण नहीं हो सका। अत पत्रावली दिनांक 23.8.18 को न्यायालय हाजा में पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) 23.8.18 बाबू लाल ..... उपस्थित साबिक आदेश दिनांक 16/5/18 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 23/10/18 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/4/23	वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा अभी तक तलबाना पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी वादी वकील को पूर्व में कई नोटिस प्रदान करने का बाद होने के बावजूद कोर्ट के तलबी हेतु तलबाना पेश नहीं किया गया है। अतः वादी वकील के तलबाना के अभाव में इस केस को Default में खारिज किया जाता है। फाइल में नक्ल शुमार होकर बाद से एक ही वाद तकमील जिला उपभोक्ता मंच आगरा। हुक्म।